



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

केन्द्रीय विद्यालय लखीमपुर-खीरी
KENDRIYA VIDYALAYA LAKHIMPUR-KHERI
तृतीय वाहिनी, सशत्रु सीमा बलपरिसर, गढ़ी रोड
3rd Battalion SSB Campus Garhi Road
लखीमपुरखीरी(उ०प्र०) LAKHIMPUR KHERI(U.P.)

पिन कोड-262701

PIN CODE-262701

दूरभाषन-05872-266431

TELEPHONE NO.05872-266431

e-mail-kvlakhimpurkheri@gmail.com

website - lakhimpurkheri.kvs.ac.in

फा.26014/2025-26/के०वि०लखीमपुर खीरी/457-960

दिनांक: 12.01.2026

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०), नई दिल्ली के पत्राक एफ-11-55/2000-केविसं (सतर्कता) पार्ट-3/1136-16 दिनांक 18.10.2024 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4(2) के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी प्रथम एवं द्वितीय पाली के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) ICC का एतद् द्वारा गठन किया जाता है:

क्रम.सं.	नाम एवं पता	समिति में धारित पद	Jurisdiction
1 ✓	श्रीमती शैली सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष, के.वि.लखीमपुर खीरी (प्रथम पाली)	प्रिसाइडिंग ऑफिसर (Presiding Officer)	To inquire into the complaint of sexual harassment at work place against the officials of the Regional Office up to the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against the HMs of the Lucknow Region. To Conduct the preliminary/ first stage enquiry into the complaints of Sexual Harassment against Principals & Vice Principals.
2	श्रीमती सोनम, AIM - मितौली (रोजी-रोटी) ग्राम- रतहाता, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश	एन.जी.ओ.सदस्य	
3	श्री शिव कुमार गौड़, टीजीटी(शारीरिक शिक्षा), के.वि.लखीमपुर खीरी (प्रथम पाली)	सदस्य (जांच के समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा	
4	सुश्री आशु रानी मौर्य, पीआरटी, के.वि.लखीमपुर खीरी (द्वितीय पाली)	इन चार सदस्यों में से किसी दो का चयन किया जाएगा)	
5	श्री क्षितिज वर्मा, पीआरटी, के.वि.लखीमपुर खीरी द्वितीय पाली		

प्रिसाइडिंग ऑफिसर (Presiding Officer) के कार्य निम्नवत होंगे:-

1. जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए एन.जी.ओ. सदस्य, अन्य सदस्यों के साथ समन्वय करें।
2. एन.जी.ओ. सदस्य के साथ परस्पर समन्वय करे और दौरे के कार्यक्रम की सुविधाजनक योजना बनाएं।
3. जांच विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.1997 के फैसले और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य का मामला।
4. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य का होना अनिवार्य है।
5. शिकायत मिलने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विशिष्ट निष्कर्ष और सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(आशीष कुमार दीक्षित)

प्राचार्य

वितरण: 1. उपायुक्त, के.वि.संगठन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ संभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रशासनिक अधिकारी, के.वि.संगठन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ संभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यालय प्रति।

(आशीष कुमार दीक्षित)

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय लखीमपुर-खीरी